



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 657 राँची, सोमवार, 20 भाद्र, 1938 (श०)

11 सितम्बर, 2017 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

11 सितम्बर, 2017

संख्या-एल०जी०-15/2017-111/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 6 सितम्बर, 2017 को अनुमति दे चुकी है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड धर्म स्वतंत्र अधिनियम, 2017

(झारखंड अधिनियम संख्या-17, 2017)

बल प्रयोग, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधन का उपयोग करते हुए एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मान्तरण तथा इससे जुड़े आनुषांगिक मामले के प्रतिषेध का उपबन्ध करने हेतु अधिनियम ।

भारतीय गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ**

- (1) यह अधिनियम झारखण्ड धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2017 कहलायेगा ।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (3) यह निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएँ** - जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तबतक इस अधिनियम में :-

- (क) "प्रलोभन" से अभिप्रेत है निम्नलिखित रूप में किसी लालच का प्रस्ताव -
 - (i) नगद या वस्तु के रूप में कोई उपहार या परितोषण,
 - (ii) कोई सामग्री लाभ, आर्थिक या अन्यथा देना,
- (ख) "धर्मान्तरण" से अभिप्रेत है एक धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अंगीकार करना,
- (ग) "धर्मान्तरित" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति का एक धर्म छोड़ना और दूसरा धर्म अंगीकार करना,
- (घ) "बल प्रयोग" के अन्तर्गत बल-प्रदर्शन या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की धमकी, जिसमें दैवी अप्रसाद या सामाजिक बहिष्कार की धमकी सम्मिलित है, शामिल होंगे,
- (ङ) "कपट" में दुर्व्यपदेशन या कोई अन्य कपटपूर्ण उपाय सम्मिलित होगा,
- (च) "देशी आस्था" से अभिप्रेत है ऐसा धर्म, विश्वास एवं परम्पराएँ जिनमें धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड, पर्व-त्योहार, अनुसरण, प्रदर्शन, वर्जना, प्रथाएँ जैसा कि झारखण्ड में अनुसूचित जनजाति समुदाओं के द्वारा स्वीकृत, मान्य तथा व्यवहार्य हैं, जब से ऐसे समुदाय जाने जाते हैं,
- (छ) "अप्राप्त वय" से अभिप्रेत है अठारह वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति,
- (ज) "धार्मिक आस्था" से अभिप्रेत है धर्म से जुड़ी आस्था, जिसमें देशी आस्था भी सम्मिलित है ।

3. **बलपूर्वक धर्मान्तरण का प्रतिषेध :-**

कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अन्यथा बलपूर्वक, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण साधन के द्वारा एक धर्म/धार्मिक आस्था से दूसरे में धर्मान्तरित नहीं करेगा या करने का प्रयास नहीं करेगा, न ही ऐसे धर्मान्तरण का दुष्प्रेरण करेगा ।

4. **धारा-3 के उपबंध के उल्लंघन के लिए दंड -**

धारा-3 में अन्तर्विष्ट उपबंध का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति किसी नागरिक दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तीन वर्षों तक कारावास अथवा पचास हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा,

परन्तु यदि यह अपराध अप्राप्त वय, महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति के प्रति किया गया है तो कारावास चार वर्षों तक और जुर्माना एक लाख रुपये तक होगा ।

5. **धर्मान्तरण के लिए पूर्वानुमति -**

- (1) जो कोई किसी व्यक्ति को एक धर्म/धार्मिक आस्था से दूसरे में धर्मान्तरित करने के निमित्त एक धार्मिक पुरोहित के रूप में स्वयं किसी संस्कार का आयोजन करता है अथवा ऐसे संस्कार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर भाग लेता है, उसे ऐसे

प्रस्तावित धर्मान्तरण के लिए संबंधित जिला दंडाधिकारी से नियमावली द्वारा यथाविहित प्रारूप में आवेदन देकर पूर्वानुमति लेनी होगी ।

- (2) धर्मान्तरित व्यक्ति ऐसे धर्मान्तरण के तथ्यों के साथ जिस जिले में ऐसे संस्कार का आयोजन हुआ है उस जिला के जिला दंडाधिकारी को नियमों द्वारा यथाविहित अवधि के भीतर और यथाविहित प्रारूप में संसूचित करेगा ।
- (3) जो कोई पर्याप्त कारण के बिना उपधारा-(1) एवं (2) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है तो वह एक वर्ष तक कारावास या पाँच हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

6. अपराध का संज्ञेय होना :-

इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होगा तथा इसका अनुसंधान पुलिस निरीक्षक से निम्न पद के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा ।

7. अभियोजन की स्वीकृति :-

इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए कोई भी अभियोजन जिला दंडाधिकारी द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी से ही या अनुमण्डल पदाधिकारी के पद से अन्यून पद के ऐसे पदाधिकारी, जिसे कि वह (जिला दंडाधिकारी) इस संबंध में प्राधिकृत करे, द्वारा या पूर्व मंजूरी से ही संस्थित किया जाएगा ।

8. नियम बनाने की शक्ति :-

राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवास कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

11 सितम्बर, 2017

संख्या-एल०जी०-15/2017-112/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 2017 को अनुमत झारखण्ड धर्म स्वतंत्र अधिनियम, 2017 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

Jharkhand Freedom of Religion Act, 2017 (Jharkhand Act No. 17, 2017)

A Act to provide for prohibition of conversion from one religion to another by the use of force or allurement or by fraudulent means and for matters incidental there to.

Be it enacted by the Jharkhand Legislature in the Sixty Eight year of the Republic of India as follows:

1. *Short title, extent and commencement.*

- (1) This Act may be called the Jharkhand Freedom of Religion Act, 2017
- (2) It shall extent to the whole of the State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force from the date of its issuance.

2. *Definitions.*

In this Act unless the context otherwise requires;

- (a) "allurement" means offer of any temptation in the form of
 - (i) any gift or gratification either in cash or kind;
 - (ii) grant of any material benefit, either monetary or otherwise;
- (b) "Conversion" means renouncing one religion and adopting another;
- (c) "Convert" means to make one person to renounce one religion and adopt another religion;
- (d) "Force" shall include a show of force or threat of injury of any kind including threat of divine displeasure or social ex-communication.
- (e) "Fraud" shall include misrepresentation or any other fraudulent contrivance;
- (f) "Indigenous faith" means such religions, belief and practices including rites, rituals, festivals. Observance, performances, abstinence, customs as have been found sanctioned, approved, performed by the Scheduled Tribe communities of Jharkhand from the time these communities have been known.
- (g) "minor" means a person under eighteen years of age.
- (h) "religious faith" means faith related to religion, which also includes indigenous faith.

3. *Prohibition of forcible conversion.*

No person shall convert or attempt to convert, either directly or otherwise, any person from one religion/ religious faith to another by the use of force or by allurement or by any fraudulent means, nor shall any person abet any such conversion.

4. Punishment for contravention of the provision of section 3.

Any person contravening the provision contained in section 3 shall, without prejudice to any civil liability be punishable with imprisonment which may extend to three years or with fine which may extent to fifty thousand rupees or with both;

Provided that in case the offence is committed in respect of a minor, a woman or a person belonging to the Schedules Castes or Scheduled Tribes, the punishment shall be imprisonment to the extent of four years and fine up to one hundred thousand rupees (one lakh rupees);

5. Prior permission for conversion.

- (1) Whoever converts any person from one religion/ religious faith to another, either by performing any ceremony by himself for such conversion as a religious priest or takes part directly or indirectly in such ceremony shall take prior permission for such proposed conversion from the District Magistrate concerned by applying in such form as may be prescribed by rules.
- (2) The person who is converted shall send intimation to the District Magistrate of the District concerned in which the ceremony has taken place of the fact of such conversion within such period and in such form as may be prescribed by rules.
- (3) Whoever fails without sufficient cause, to comply with the provisions of sub-section (1) and (2) shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to rupees five thousand or with both.

6. Offence to be cognizable

An offence under this Act shall be cognizable and non bailable. Such cases shall not be investigated by an officer below the rank of an Inspector of Police.

7. Prosecution Sanction:-

No prosecution for an offence under this Act shall be instituted except by, or with the previous sanction of the District Magistrate or such other Authority, not below the rank of a Sub-Divisional Officer, as may be authorized by him in that behalf.

8. Power to make rules.

The State Government may make rules for the purpose of carrying out the provisions of this Act.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवास कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।